

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

20/06/20

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान - 2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रहस की  
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 74, 75  
मौज शाहपुरा व खाना दोर पुत्र काका व खाना खाना पुत्र काका  
(रिपोर्ट में) जबकि ये उपखण्ड कार्ड में प्रशासन जोकिद पुत्र काका  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।  
हैं अतः महोदय, मैं निवेदन है कि मेरा नाम दोर पुत्र काका  
व खाना के बजाय जोकिद पुत्र काका करवाने  
दिनांक:- श्री कृपा करावे। प्रार्थी  
(जोकिद पुत्र काका)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रहस के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के  
खाता संख्या 74, 75 में प्रार्थी का नाम दोर पुत्र काका व खाना वर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
आवेदन व जानकारी के अनुसार खातेदार को सही नाम जोकिद पुत्र काका जो संशोधित किया  
जाना उचित है।  
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. काका

पटवारी  
तह. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट पटवारी रहस व भू.अ.नि. काका एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम रहस की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 74, 75 में प्रार्थी का  
नाम दोर पुत्र काका व खाना जोकिद पुत्र काका के बजाय जोकिद पुत्र काका किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्र.सं. 14/20  
10/06/20

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा आदेश रहस जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता  
संख्या 74, 75 में दर्ज प्रार्थी का नाम दोर पुत्र काका व खाना के स्थान पर जोकिद पुत्र काका के  
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)